पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष द्वारा बहस अंतर्गत प्रा०पत्र 151-152 CPC समाप्त की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 20-2-20 को पेश हो।

20.02.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभ्यपक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151-152 सी.पी.सी. के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में अच्छी माडी के हिसाब से एवं मौका कब्जा अनुसार दोनों प्रस्ताव भेजे गए थे। न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में अच्छी माडी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया था। उभ्यपक्ष में अच्दी माडी के मुताबिक ही सहमति हुई थी। परन्तु अंतिम डिक्री पारीत होते समय त्रुटिवश कब्जे के अनुसार आदेश हो गया जो स्पष्टतया लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 में दुरूस्ती की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब बहस में कथन किए कि वादी द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 के वियद्ध का न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील दायर की हुई है। साथ ही वादी द्वारा अदालत हाजा में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 151-152 सी.पी.सी. एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र राज. काश्त. अधि 229 प्रस्तुत कर दिया। अब अपील पेश कर दी गई है तो वादी 151 सी.पी.सी. एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा मुताबिक राजीनामा ही डिक्री जारी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 151-152 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

उभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय दिनांक 20.08.2019 द्वारा अच्छी माडी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश जारी होकर प्राथमिक डिक्री जारी हुई। उसके पश्चात् विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज होने पर पुनः पत्रांक 531 दिनांक 07.11.2019 द्वारा संशोधित विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश हुए। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा रास्ता सुविधा एवं मौका कब्जानुसार एवं अच्छी माडी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव भिजवाए गये। आदेशिका दिनांक 18.11.2019 के अवलोकन से

प्रकरण सं0 .....अनवान.....

Continuation Note Sheet

प्रकट होता है कि अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी की सहमति से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री की गई। आदेशिका में यह उल्लेखित नहीं है कि यह सहमति अच्छी माडी के अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर थी अथवा कब्जा के अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर। अधिवक्ता वादी का कथन है कि उन्होंने अच्छी माडी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि उभय पक्ष की सहमति से ही अंतिम डिक्री जारी हुई। उक्त विवेचन से एक तथ्य उभर कर स्पष्ट होता है कि अंतिम डिक्री लिपिकीय त्रुटि से तो जारी नहीं हुई है। यह मौका कब्जा अनुसार जारी की गई है। अधिवक्ता वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इस निर्णय व डिक्री की अपील का राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां विचाराधीन है।

अतः इस न्यायालय का विनम्र मत यह है कि आदेश एवम् डिक्री दिनांक 20.11.2019 लिपिकीय त्रुटि से जारी नहीं हुई है। अतः प्रकरण अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 151–152 सी.पी.सी. पोषणीय नहीं है। साथ ही प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर न्यायालय में विचाराधीन है। इस स्थिति में इस न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित करने पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151–152 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर